तारीख
हुक्म का
जारी

न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–20/2021 विविध

किरणजीत कौर पत्नी श्री सुखचरण सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना, हाल आबाद गांव फतेहगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थीया

बनाम

1. रमेशदेव, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गुरमीत कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह पत्नी श्री हरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी दानेवाला तहसील मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)।
3. हरजीत कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी किकरखेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
4. सुखजीत कौर पुत्री श्री सुखदेव सिंह पत्नी श्री संदीप सिंह जाति जटसिख निवासी राजपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।

––अप्रार्थीगण

5. भवसिद्ध पुत्री श्री सुखचरण सिंह नाबालिग जाति जटसिख निवासी नगराना, हाल आबाद गांव फतेहगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. सिमरजीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत मुन्तकिल किये जाने प्रकरण संख्या 119/2015, शीर्षक गुरमीत कौर आदि बनाम किरणजीत कौर आदि, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी., न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया।

उपस्थितः–1. श्री महेन्द्र सिंह सन्धू, एडवोकेट–प्रार्थी।
2. श्री राजीव कुलश्रेष्ट, एडवोकेट–अप्रार्थी सं. 2 ता 4 व 6।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः–25.11.2021**

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 02 ता 4 ने प्रार्थीया व अन्य के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत बअनवानी गुरमीत कौर आदि बनाम किरणजीत कौर आदि, न्यायालय सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के समक्ष पेश किया हुआ है। प्रार्थीया औरतजात है तथा विधवा है तथा अप्रार्थी सं. 2 ता 4 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा प्रार्थीया को धमकी दी गई है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से हमारी बात तय हो गई है अब उक्त प्रार्थना पत्र में हम हमारे पक्ष में निर्णय पारित करवायेंगे तथा निर्णय उपरान्त आपकी कृषि भूमि पर कब्जा करेंगे। प्रार्थीया के पति की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीया कमजोर श्रेणी में आती है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा प्रार्थीया को

धमकी देने के बाद प्रार्थीया को विचारणीय न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण में बहस होने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा प्रार्थीया को अपने पक्ष में फैसला करवाने की धमकी देने के कारण प्रार्थीया अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, श्रीमान न्यायालय की शरण के अलावा प्रार्थीया के पास कोई चारा नहीं है जिस कारण प्रार्थीया श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। विचारणीय न्यायालय के द्वारा अपने विधिक अधिकारों से बाहर जाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। प्रार्थीया को पूर्ण विश्वास हो गया है कि विचारणीय न्यायालय से प्रार्थीया को कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत मुन्तकिल कि अन्तिम निस्तारण तक प्रकरण संख्या 119/2015 में आगामी कोई कार्यवाही या आदेश पारित नहीं करने से ममनू व बाज रहे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, संगरिया से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 ता 4, 6 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–02 में वर्णित कथन जिस प्रकार अंकित किए गए हैं, असत्य, अविधिक वमनगढ़ंत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया का यह कथन कि अप्रार्थीया संख्या 2 ता 4 द्वारा धमकी दी हो कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 से बात तय हो गई हो असत्य, अविधिक व मनगढ़ंत होने से अस्वीकार है। सही स्थिति अनुसार अप्रार्थी सं. 2 ता 4 के विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया की अदालत में एक वाद प्रस्तुत हुआ जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 का गलत पता नगराना का लिखकर उन पर तामिल करवाते हुए वाद डिक्री करवा लिया जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा वर्ष 2015 में एक आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थीया किरणजीत कौर व अप्रार्थी सं. 5 भवसिद्ध की तामील हो गई। किरणजीत कौर व भवसिद्ध के अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आ गए। इन्ही पक्षकारान के मध्य एक अन्य वाद सहायक कलक्टर, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अप्रार्थीया संख्या 5 भवसिद्ध की पैरवी किरणजीत कौर द्वारा की जा रही है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का जब बहस पर आया तो किरणजीत कौर के अधिवक्ता द्वारा भवसिद्ध के विरूद्ध केवलमात्र इस प्रकरण में हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर कर प्रकरण में अंतिम बहस नहीं होने दी उस समय न्यायालय में इससे पूर्व के पीठासीन अधिकारी थे। भवसिद्ध के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर करने के उपरांत न्यायालय द्वारा भवसिद्ध का वाद मित्र नियुक्त किया जिसकी फीस अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा दी गई। भवसिद्ध के वाद मित्र द्वारा प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत किया गया उसके उपरांत बहस हेतु प्रार्थीया किरणजीत कौर के अधिवक्ता द्वारा अनेकों अवसर लिए गए। तदोपरांत प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण अपने आदेश में रखा तो प्रार्थीया किरणजीत कौर द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामनीय सहायक कलक्टर, संगरिया के आदेश को रूकवा दिया, जिससे स्पष्ट है कि किरणजीत कौर केवल मात्र प्रकरण का फैसला नहीं होने देना चाहती है। प्रकरण 6 वर्ष से अधिक पुराना है तथा इसमें बहस हेतु लंबे समय से चल रहा है। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 का यह प्रकरण यदि अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को कोई एतराज नहीं है लेकिन अप्रार्थी सं. 2 ता 4 यह नम्रता पूर्वक निवेदन करती है कि प्रकरण हनुमानगढ़ या टिब्बी न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि अप्रार्थी सं. 2 ता 4 मलोट, अबोहर की रहने वाली हैं जिन्हें पेशी पर मलोट व अबोहर पंजाब से आना पड़ता है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने यह धमकी दी है कि उसकी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से हमारी बात तय हो गई है, अब उक्त प्रार्थना पत्र में हम हमारे पक्ष में निर्णय पारित करवायेंगे तथा निर्णय उपरान्त आपकी कृषि भूमि पर कब्जा करेंगे। प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 से इस तरह की धमकीयां मिल रही है जिससे प्रार्थीया न्यायालय में उपस्थित होने में भयभीत महसूस कर रही है। प्रार्थीया को यह आशंका है कि

अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के दबाव में आकर प्रार्थीया को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही फैसला कर देगा। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं होने तथा प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में होने पर विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 ता 4, 6 ने अपनी बहस में कथन किया है कि विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। प्रार्थीया द्वारा जानबूझकर प्रश्नगत प्रकरण को लम्बित रखने तथा प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण पर जो आक्षेप अंकित किये है वे निराधार एवं मनघडंत है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 पर लगाये गये आक्षेप पूर्णतया निराधार व झूठे है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकरी, संगरिया के पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण को सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकरी, संगरिया के न्यायालय से स्थानान्तरित किया जाता है तो न्यायालय द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत दायर किया गया है जो वास्ते अन्तिम बहस की स्टेज पर है। प्रार्थना पत्र अन्तिम निस्तारण की स्थिति में है। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी का आवलोकन करने से प्रश्नगत प्रकरण को उनके न्यायालय से स्थानान्तरित किया जाता है तो उनके द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं किया जाना पाया गया। प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 से धमकीयां मिलने व अपने निवास स्थान से सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया का न्यायालय दूर होने पर तारीख पेशी पर उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की। ऐसी स्थिति में सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के यहां स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 119/2015 बअनवानी गुरमीत कौर आदि बनाम किरणजीत कौर आदि को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ को स्थानान्तरित किया जाता है। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण करें। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरण को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ को शीघ्र भिजवाये। आदेश की प्रति सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया व सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनाक 25.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़